परियोजना के कार्यान्वयन अवधि के भीतर संवितरण के लिए नहीं है।

(4) कार्यशील पूंजी ऋण

परियोजना की लागत के भाग के रूप में 3.00 लाख रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सम्पूर्ण कार्यशील पर विचार किया जाता है। 3.00 लाख रुपए से अधिक और 30.00 लाख रुपए तक लागत की परियोजनाओं/यूनिटों के लिए परियोजना लागत के एक भाग के रूप में केवल कार्यशील पूंजी मार्जिन पर विचार किया जाता है। तथापि, विशेष अनुरोध पर एन एम एफ डी सी 7.00 लाख/एकक अथवा कार्यशील पूंजी राशि का 70% जो भी कम हो, के अध्यधीन कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कर सकता है।

(5) दक्षता और उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान

एन एस एफ डी सी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दक्षता और उद्यमीय विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय का 85% तक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

किशोर गृहों में बाल भिखारी

2125. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में से ऐसे कितने किशोर गृह हैं जहां बाल भिखारियों को रखा जाता है;

(ख) इन किशोर गृहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है; और

(ग) ऐसे किशोर गृहों में रखे गये बाल भिखारियों को सरकार की ओर से क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 251 किशोर गृहों की स्थापना की गई है। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत उपेक्षित किशोरों को आश्रय में रखने के लिए किशोर गृहों की स्थापना की जाती है। इन गृहों में दी जाने वाली सुविधाओं में आवास, अनुरक्षण के साथ-साथ शिक्षा की सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास शामिल हैं।

Convention on Animal Welfare

2126. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a convention on animal welfare was held at Dholka in Gujarat in December, 1998;

(b) if so, whether main focus of the convention was removal of cruelty towards animals, closing of illegal slaughter houses and protection of animals, besides the problems faced by panjarapls gaushalas and animal welfare organisations in the State; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Hosue.

Financial Assistance to NGOs in N.E. States

2127. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the number and names of NGOs which have taken financial assistance from Government in each State of the North Eastern Region with the amount of funds and schemes during the Eighth Five Year Plan;

(b) whether the assistance to each State has been monitored in time; and

(c) if so, how the monitoring programme has been done?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) A statement is attached. (*see* below)

(b) and (c) Grant-in-aid is released to NGOs on the basis of detailed proposals